राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकःप. 119 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 302 दिनांक :– 04/05/2022

–:: आदेश ::–

Shivam Para Medical College, Plot no. 55 Mahalaxmi Nagar, heerapura oppt. Power House Ajmer Road Jaipur Rajasthan. को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 447 दिनांक 07.09.2021 संस्थान को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन रेडिऐशन टैक्नोलोजी, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से संचालित करने हेतु अस्थाई मान्यता प्रदान करने का सशर्त आदेश प्रसारित किया गया था।

उक्त आदेश की शर्त संख्या 08 निम्नानुसार थी :–

1. Clinical Establishmets Act, के पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज 06 माह की समयावधी में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।

संस्था द्वारा दिनांक 21.04.2022 तक उक्त शर्त की पालना नहीं करने के क्रम में नोटिस क्रमांक 282 दिनांक 21.04.2022 जारी कर कारण स्पष्ट करने / व्यक्तिगत सुनवाई करने हेतु दिनांक 25.04.2022 को 11:30 बजे निर्धारित किये जाने पर संस्थान की ओर से श्री शैतान सिंह ने उपस्थित होकर एक पृष्ठिय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि "कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्रांक सामान्य / एफ–95(3) / 2021 / 2702 दिनांक 01.09.2021 में यह अंकित किया गया है कि वर्तमान में Clinical Establishments के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाधीन है। नियमानुसार कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के द्वारा निरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के पेश्चात ही पंजीयन किया जाना सम्भव होगा।

उक्त के क्रम में सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, एक्ट 2008 के नियम / विनियम 2014, 2015 तथा Clinical Establishmets Act, का अनुशीलन किया गया। इस प्रकरण में संस्था को दिनांक 07.09.2021 को मान्यता इस शर्त पर दी गई थी कि वे मान्यता की दिनांक से Clinical Establishmets Act, के पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज 06 माह की समयावधि में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को उपलब्ध करवाने की शर्त निर्धारित की गई थी। लेकिन वर्तमान में Clinical Establishmets Act, के प्रावधानो के अंतगर्त संस्था का निरीक्षण किया जाकर पंजीयन किया जाना शेष है। निरीक्षण उपरान्त संस्थान को पंजीयन हेतु उपयुक्त / अनुपयुक्त पाया जाना अभी भविष्य के गर्त में है। यदि निरीक्षण पर संस्थान को पंजीयन हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो न केवल Clinical Establishmets Act, का उल्लंधन होगा, अपितु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, एक्ट 2008 के नियम / विनियम 2015 के 53 (1) D(ii) का स्पष्ट उल्लंघन होगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्ष 2021–22 की काउन्सलिंग के द्वौरान संस्थान को छात्र आवंटित किये जाता है, एवं तत्पश्चात संस्थान Clinical Establishmets Act, के प्रमाण पत्र हेतु अयोग्य पाया जाता है, तो अध्ययनरत छात्रो का भविष्य अंधकारमय होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

कृ.पृ.उ.

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

अतः छात्र हित को मध्येनजर रखते हुये उपरोक्त वर्णित संस्थान Shivam Para Medical College, Plot no. 55 Mahalaxmi Nagar, heerapura oppt. Power House Ajmer Road Jaipur Rajasthan. को आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु Diploma in Medical Lab. Technology, Diploma in Radiation Technology पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमो में छात्रो के प्रवेश आवंटन पर अस्थाई रूप से रोक लगाई जाती है।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपं. 119/पैरामेडि.कौं/मान्यता/2022/ 302   दिनांकः– 04/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव/अध्यक्ष, सुभाष बाल विद्यालय समिति जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, शिवम पैरामेडिकल कॉलेज प्लॉट न.55 महालक्ष्मी नगर हीरापुरा अपो. पावर हाउस अजमेर रोड जयपुर।
3. लेखा/मान्यता/काउन्सलिंग/परीक्षा/विधि/पंजीयन/स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
4. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार